उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–7
संख्या–103/xxvii(7)/2011
देहरादून: दिनांक: 07 जुलाई, 2011

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या:–102/xxvii(7)/2011 दिनांक: 06 जुलाई, 2011 द्वारा उत्तराखण्ड के समस्त विभागों में ई–प्रोक्योरमेंन्ट सिस्टम लागू कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर–16 के अनुसार वित्त विभाग के अधीन ई–प्रोक्योरमेंन्ट सेल का गठन निम्नवत् किया जाता है:–

1.	सचिव, वित्त/अपर सचिव, (वित्त अनुभाग–7)	अध्यक्ष
2.	निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें	सदस्य
3.	निदेशक एन0आई0सी0	सदस्य
4.	सलाहकार वित्त आडिट प्रकोष्ठ	सदस्य
5.	संयुक्त सचिव, वित्त	सदस्य
6.	अपर निदेशक, कोषागार	संयोजक
7.	विभागाध्यक्ष/अपर विभागाध्यक्ष वन, सिंचाई, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक निर्माण विभाग, पेयजल, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, लघु सिंचाई, विद्यालयी शिक्षा	सदस्य
8.	वित्त नियंत्रक, वन, सिंचाई, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक निर्माण विभाग, पेयजल, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, लघु सिंचाई, विद्यालयी शिक्षा	सदस्य

यह सेल योजना के कियान्वयन हेतु विभागों के मध्य समन्वय का कार्य करेगा व उसको विभागों में लागू कराने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक कार्यवाही करेगा तथा यथाआवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

पत्र संख्या:–103/xxvii(7)/2011 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सम्बन्धित प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
3. प्रधान महालेखाकार, लेखा परीक्षा, देहरादून।
4. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित विभागों के वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित अधिकारीगण।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।